(7)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 1533-तीन/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 30-1-13 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला अशोकनगर म0प्र0 प्रकरण कमांक 55/स्वमेव निग./06-07.

1- रमेश
2- महेश
3- नरेन्द्र सिंह पुत्रगण प्राणसिंह रघुवंशी
4- कल्याण सिंह
5. चरण सिंह
निवासीगण ग्राम डुंगासरा तह. ईसागढ़
जिला अशोकनगर म0प्र0 ---- आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0 शासन
द्वारा कलेक्टर, अशोकनगर ---- अनावेदक

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री एस. पी. धाकड़ ।
अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री बी.एन. त्यागी ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 1-3-2016 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर, जिला अशोक नगर द्वारा प्रकरण कमांक 55/स्व.निग. /06-07 में पारित आदेश दिनांक 30-01-2013 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार, ईसागढ़ ने प्रकरण कमांक 112/अ-19/80-81 में पारित आदेश दिनांक 24-12-1981 द्वारा आवेदकों को ग्राम बैधाई की शासकीय भूमि सर्वे नंबर 347/2 रकबा 1.254 हैक्टर

सर्वे नंबर 374 रकबा 0.136 हैक्टर तथा प्रकरण क्रमांक 114/अ-19/80-81 में पारित आदेश दिनांक 24-12-1981 द्वारा ग्राम बैधाई की ही शासकीय भूमि सर्वे नं. 345/2 रकबा 1.651 हैक्टर का व्यवस्थापन किया गया । नायब तहसीलदार के उक्त आदेशों को शिकायत के आधार पर कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा लगभग 25 वर्ष उपरांत वर्ष 2005-06 में स्वमेव निगरानी में लिया जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 30-1-13 द्वारा निरस्त किया गया है । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3- आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध है । विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदकों को ग्राम बैधाई की शासकीय भूमि सर्वे नंबर 347/2 रकबा 1.254 , 374 रकबा 0.136 हैक्टर एवं सर्वे नं. 345/2 रकबा 1.651 हैक्टर का व्यवस्थापन किया गया है । । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शिकायत के आधार पर 25 वर्ष से अधिक समय उपरांत तहसील न्यायालय के प्रकरणों को स्वमेव निगरानी में लेते हुए 32 वर्ष उपरांत आदेश पारित किया गया है जो अवैधानिक है क्योंकि स्वमेव निगरानी के अधिकारों का उपयोग युक्तियुक्त समय के भीतर ही किया जा सकता है और युक्तियुक्त अवधि कुछ माह ही हो सकती है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 1998(1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26, न्यायदृष्टांत 2010 (4) MPLJ 178 (माननीय उच्च न्यायालय पूर्णपीठ) (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य विरूद्ध म0प्र0 शासन) एवं अन्य न्यायदृष्टांतों का हवाला दिया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि बंटन/व्यवस्थापन के बाद आवेदकों ने काफी धन एवं श्रम लगाकर पड़त भूमि को समतल बनाया है तथा कृषि योग्य बनाया है सिंचाई के साधन किये हैं । 32 वर्ष उपरांत व्यवस्थापन रद्द करना न्यायदान नहीं है । यदि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि की गई थी तो उक्त त्रुटि के कारण आवेदकों को वंचित करना न्यायोचित नहीं है । इस संबंध में उनके द्वारा 2009 आर. एन. 251 इंदरसिंह तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0 शासन का हवाला दिया गया है । उक्त आधारों पर आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

4- अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आलोच्य आदेश को

उचित बताते हुए कहा गया कि नायब तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन आवेदकों को अपात्र होते हुए किया गया है इसलिए निगरानी निरस्त की जाये ।

5- उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है इस प्रकरण में नायब तहसीलदार, अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 112/अ-19/80-81 में पारित आदेश दिनांक 24-12-1981 द्वारा आवेदकों को ग्राम बैधाई की भूमि सर्वे नंबर 347/2 रकबा 1.254 , 374 रकबा 0.136 हैक्टर तथा प्रकरण क्रमांक 114/अ-19/80-81 में पारित आदेश दिनांक 24-12-1981 द्वारा ग्राम बैधाई की ही भूमि सर्वे नं. 345/2 रकबा 1.651 हैक्टर का व्यवस्थापन किया गया । नायब तहसीलदार के इस आदेश को कलेक्टर द्वारा लगभग 25 वर्ष उपरांत स्वमेव निगरानी में लिया गया है तथा 32 वर्ष उपरांत निरस्त किया गया है । कलेक्टर के आदेश में उन्हें जानकारी किस प्रकार हुई इसके श्रोत का भी कोई उल्लेख नहीं है । अतः 32 वर्ष की अवधि को आवेदक की ओर से उद्धरित न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में युक्तियुक्त अवधि नहीं मानी जा सकता है । न्यायदृष्टांत 1998 (1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक वर्ष की अवधि को, किसी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु युक्तियुक्त अवधि नहीं माना गया है । इसी प्रकार न्यादृष्टांत 2010 (4) MPLJ 178 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) में म0प्र0 उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के अनेक न्यायदृष्टांतों का संदर्भ देते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि - " भू-राजस्व संहिता, म0प्र0 (1959 का 20) धारा - 50 पुनरीक्षण संहिता की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों की अवैधता, अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है भले ही अचल संपत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो । " किंतु वर्तमान प्रकरण में पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायदृष्टांतों में निर्धारित अवधि के पश्चात पुनरीक्षण में लिया जाना विधि की मंशा के विरूद्ध है । उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों के प्रकाश में

कलेक्टर द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत एवं विधिसम्मत नहीं है, अतः स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

6- प्रकरण में विचार योग्य बिंदु यह भी है कि नायब तहसीलदार, अशोक नगर ने भूमि का व्यवस्थापन आदेश दिनांक 24-12-1981 द्वारा किया गया । भूमि बंटन/व्यवस्थापन में प्राप्त कर कब्जा लेने के बाद आवेदकों ने अकृषि योग्य भूमि को श्रम व धन व्यय कर समतल बनाते हुए कृषि योग्य बनाया तब क्या ऐसी भूमि को स्वमेव निगरानी में 32 वर्ष उपरांत पुनः शासकीय घोषित करना उचित है अथवा नहीं ? न्यायदृष्टांत 2009 आर.एन. 251 (इंदर सिंह तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0 शासन) में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि " राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 की कंडिका 24 सहपठित 30 - म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 - भूमि का आवंटन किया गया-सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों द्वारा गल्तियां की गई - प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण वंटिती को भूमि आवंटन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता । " इस प्रकरण में कलेक्टर द्वारा उक्त तथ्यों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांतों को अनदेखा किया गया है । इस कारण कलेक्टर का आदेश विधिसम्मत न होने से स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर, जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 55/स्व.निग./06-07 में पारित आदेश दिनांक 30-01-2013 निरस्त किया जाता है तथा नायब तहसीलदार, अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 112/अ-19/80-81 एवं 114/अ-19/80-81 में पारित आदेश दिनांक 24-12-1981 स्थिर रखा जाता है । तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि आवेदकगण का नाम ग्राम बैघाई स्थित प्रश्नाधीन भूमियों पर पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जाये ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर